




न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.



गुरुरतन सिंह उर्फ चट्टू सिंह तनय स्व. लालगजाधर सिंह उम्र 68वर्ष पेशा

कृषि एवं व्यापार निवासी कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

III/निगरानी/सतना/भू.रा/2017/6318.....निगराकार

आ.ए.ए.सी.
दि. 26-12-17
नं. 08-01-18

26-12-17

बनाम

01. पंकज सिंह तनय मनसुखलाल उम्र 25वर्ष निवासी चाणक्यपुरी कालोनी
तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

02. शासन म.प्र.....गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

बिरुद्ध आदेश तहसीलदार रघुराजनगर के

रा.प्र.क.-2अ5/17-18 मे पारित आदेश

दिनांक 13.10.2017

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकार निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी है:-

संक्षिप्त तथ्य

निगराकार द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शासन को पक्षकार बनाकर एकपक्षीय रूप से सीमांकन प्र.क.-56अ12/15-16 के आधार पर नक्शा तरमीम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें एकपक्षीय रूप से प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त तरमीम आदेश पारित कर दिया गया जब कि उक्त आराजी का जो सीमांकन है वह भी दोषपूर्ण है तथा आराजी में स्वत्व एवं बिक्रय पत्र के संबंध में बिवाद सिविल न्यायालय के समक्ष लम्बित है जिसमें निगराकार द्विपक्षीय पक्षकार के आधार पर गैरनिगराकार

Rajawade
आ.ए.ए.सी.
दि. 23-12-17

26-12-17
शाखा प्रहारी (रा.अं.)
कार्यालय महाशिवकला, ग्वालियर

Handwritten signature

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/6318

गुरुरतन विरुद्ध पंकज व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 2/अ-5/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 13-10-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p>	<p>(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>